Share of Shipping Industry in Transportation of Goods

944. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the present and projected share of shipping industry in transportation of goods;

(b) the details of major problems being faced by the shipping industry; and

(c) the steps proposed to be taken to resolve the problem?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) The present share of shipping industry in transportation of goods is around 33.6%. The projected share is 40%.

(b) and (c) The major problems being faced by the shipping industry, both in public and private sector, as projected by the Indian National Shipowners' Association (INSA) are as under:—

(i) Medium term loan finance for shipping companies under self-liquidating finance scheme.

(ii) Setting aside a part of country's foreign exchange reserves for boosting of Natonal Shipping Tonnage.

(iii) Enhancement of depreciation from 20% to 25% of cost of the ships on written down value basis.

(iv) Exemption from interest tax on domestic borrowings for acquisition of ships.

(v) Amendment of Section 33 AC of the Income Tax Act.

(vi) Amendment of Section 80 IA of Income Tax Act.

(vii) Amendment of Section 194-C of Income Tax Act.

(viii) Income Tax relief to floating staff personnel.

(ix) Exemption from customs duty on imported spares and stores for use of coastal ships; and

(x) Amendment to Section 76 of the Merchant Shipping Act to give enabling powers to the Director General of Shipping to specify manning scale for different categories of ships on the basis of various International Conventions and Practices.

The Government has set up a Committee in September, 1995 under the aegis of the National Shipping Board to look into the various requirements of the shipping industry and to furnish its recommendations. The Committee has to submit its report within a period of 6 months.

प्रमुख पत्तनों से आय

945. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को कांडला, तूतीकोरिन, मद्रास, बंबई, कोचीन और देश के अन्य प्रमुख पत्तन न्यासों से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पत्तन-वार कितनी आय हुई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रमुख पत्तनों पर कितनी बार तस्करी का सामान पकड़ा गया;

(घ) तस्करी के मामले में लिप्त पाये गए पत्तन-न्यासों के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) सरकार को महापत्तन न्यासों से कोई आय प्राप्त नहीं होती। पत्तन न्यासों द्वारा अर्जित आय पत्तन न्यास के पास ही रहती है।

(ख) महापत्तन न्यासों की प्रचालन आय के पत्तन-वार ब्यौरे, जिसमें वित्त और विविध आय भी

शामिल है, सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष के दौरान वित्त और विविध आय सहित प्रचालन आय

	पत्तन न्यास का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 (करोड़ रु०)
1.	बम्बई पत्तन न्यास	437.22	484.82	558.51
2.	कलकत्ता पत्तन न्यास	335.46	413.20	468.62
3.	कोचीन पत्तन न्यास	80.56	80.69	94.61*
4.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	103.50	124.28	179.07
5.	कांडला पत्तन न्यास	119.48	139.96	157.97
6.	मद्रास पत्तन न्यास	256.64	300.29	310.08
7.	मुरगांव पत्तन न्यास	79.12	98.96	97.41
8.	न्यू मंगलोर पत्तन न्यास	41.97	48.31	48.21
9.	पारादीप पत्तन न्यास	103.03	132.73	138.37*
10.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	39.88	39.09	45.02
11.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	189.56	202.26	219.41
		1786.42	2064.59	2317.28

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

गुजरात द्वारा कच्छ क्षेत्र के लिये पृथक विकास बोर्ड बनाने की मांग

946. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कच्छ क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड बनाने और इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस लंबित मांग को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) से (ङ) गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र के विकास बोर्डों की भांति ही "कच्छ विकास बोर्ड" की स्थापना के लिए अनुमोदन चाहा है। हालांकि, राज्य सरकार से इस अनुरोध पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि मामले की विभिन्न कानूनी, संवैधानिक एवं राजनैतिक जटिलताओं को देखते हुए, इस मामले में निर्णय लिए जाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

Food processing units in economically and industrially backward areas of Madhya Pradesh

947. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal for setting up food processing units in economically and industrially backward areas of the State